न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 30 / 2019
निर्णय दिनांक : ....

उनवान

1. जगदीश पुत्र स्व0 श्री रामनारायण
2. रामकल्याण पुत्र स्व श्री रामनारायण
3. नन्दकिशोर पुत्र स्व श्री कानाराम
4. रामजीलाल पुत्र स्व श्री कानाराम
5. हनुमान पुत्र स्व श्री कानाराम
6. मोहन पुत्र स्व श्री कानाराम
7. कैलाश पुत्र स्व0 श्री कानाराम

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ग्वार ब्राहमणान पटवार हल्का खेडी गोकूलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0

.....वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पि0 मू0 भूरा जाति अहीर निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण वर्तमान मे खसरा नम्बर 770 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 775 रकबा 0.51 है0, खसरा नम्बर 776 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 777 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम ग्वार ब्राहम्णान पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर के रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी वर्तमान में खसरा न. 746 से 756 व 773 कुल किता 12 कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर का खातेदार है। इस दावे में प्रतिवादी के नाम 15 ऐयर जमीन ज्यादा लगी है वो तथा वर्तमान में प्रतिवादी के नाम दर्ज भूमि में से खसरा ने 747, 748, 751, 752 व 755 का नक्शा इस दावे में विवादित है उक्त पांचो नम्बर [illegible] तरीके से प्रतिवादी के नाम व नक्शे में दिखाये गये है जबकि वास्तविकता [illegible] भूमि वादीगण की है। उक्त पांचो नम्बर की वर्तमान नक्शे की स्थिति [illegible] नक्शे में वादीगण के नक्शे में शामिल है माके [illegible] कब्जा काश्त भी वर्षों से वादीगण का ही चला आ रहा है जो आज दि[illegible] तक निरन्तर है मौके पर वादीगण की पुरता मिट्टी की डोल लगी हुई है जो मेड मेड वर्षो पुरानी है जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.02 10:29:00 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पांचो नम्बर वादीगण 747, 748, 751, 752 व 755 की खातेदारी व नक्शा ही इस दावे में विवादित है।

वादीगण के उक्त भूमि के पूर्व में खसरा नं. 323 रकबा 18 बिस्वा अर्थात 23 एयर दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा नं. 778 रकबा 0.18 है० बनाये गये है अर्थात इस नम्बर में वादीगण के 0.05 है भूमि की कम कर दी गई है। इसी प्रकार वादीगण का साबिक खसरा नं 328 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा अर्थात 0.56 है0 था जिसके वर्तमान खसरा नं. 775 रकबा 0.51 है० बनाये गये है अर्थात इस नं. में भी 0.05 है0 भूमि की कम कर दी गई है। इसी प्रकार साबिक खसरा नं. 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.57 है० वादीगण के नाम था जिसके नये खसरा नं. 770 रकबा 0.12 है०, खसरा नं. 771 रकबा 0.02 है. खसरा नं. 776 रकबा 0.21 है० खसरा नम्बर 777 रकबा 0.21 है० कुल रकबा 0.56 है० बनाये गये इस प्रकार इस खसरे में भी 0.01 है0 भूमि की कम की गई है। इसी प्रकार वादीगण के साबिक खसरा न 329 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा अर्थात 2.04 है0 थे जिसके वर्तमान न 764 रकबा 0.59 है खसरा न 765 रकबा 0.49 है0 खसरा न 766 रकबा 0.10 है0, खसरा न 770 रकबा 0.19 है0. खसरा नं. 771 रकबा 0.42 है० खसरा न 772 रकबा 0.11 व 776/1012 रकबा 0.09 है0 कुल रकबा 1.98 है० बनाये गये इस प्रकार इस खसरे में भी कुल 0.08 है० भूमि की कम कर दी गई। इनमें से खसरा न 764, 765, 766, 772, व 776 / 1012 प्रतिवादी के लगवा नहीं है ना ही इनके नक्शों में अन्तर रहा है शेष सम्पूर्ण नम्बरों में वादीगण का कुल नक्शा भी 0.15 है0 कम बना हुआ है जबकि प्रतिवादी का साबिका खसरा नं 325 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा अर्थात 1.19 है0 थे जिनके वर्तमान खसरा न 746 रकबा 0.13 है० खसरा न 747 रकबा 0.02 है० खसरा न 748 रकबा 0.02 है० खसरा न 749 रकबा 0.15 है0 खसरा न 750 रकबा 0.22 है० खसरा न 751 रकबा 0.02 है० खसरा नं 752 रकबा 0.04 है० खसरा न 753 रकबा 0.42 है0 खसरा न 754 रकबा 0.22 है० खसरा न 755 रकबा 0.02 है० खसरा न 756 रकबा 0.08 है0 कुल रकबा 1.34 है0 बनाये गये अर्थात प्रतिवादी के 15 एयर भूमि ज्यादा दर्ज कर दी गई इनमें से खसरा न 747, 748, 751, 752 एवं 755 वादीगण के साबिक नक्शे का हिस्सा है तथा वर्तमान में भी उक्त खसरों में वादीगण के कब्जे व काश्त में है। गत सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना कोई जाच किये सरसरी तौर पर राजस्व रिकार्ड में मनमाने तरीके से तथा बिना किसी ठोस आधार के गलत हिस्सा दर्ज कर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम कर दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को केवल रिकार्ड को रिपीट करना होता है खातेदारी में नाम परिवर्तन बिना किसी आदेश के परिवर्तित नही होता है। इस प्रकरण में नाम परिवर्तन बिना किसी आदेश के किये गये है उक्त कार्यवाही पूर्णतया गैर कानूनी अवैध व प्रारम्भ से ही शून्य है जिसका वादीगण के मुकाबले कोई विधिक महत्व नही है। वादीगण खातेदार है तथा गांव के रहने वाले किसान है जो अपने हिस्से पर लगातार काबिज है तथा वादग्रस्त भूमियों सहित अपनी समस्त भूमियों पर काबिज काश्त है प्रतिवादीगण का वादीगण से कोई सम्बन्ध नही है।

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahip
Date: 2024.02.02 10:29:
Reason: SelfAttested

वादीगण अपनी उक्त भूमि पर वर्षो से लगातार काबिज काश्त है। अभी गत दिनो करीब नवम्बर 2017 में प्रतिवादीगण मौके पर आये और वर्तमान नक्शे से जमीन की नाप झोक करने लगे। जिस पर वादीगण ने ऐतराज किया तो उस समय प्रतिवादी चला गया किन्तु यह कहकर गया कि उक्त खसरे उसकी जमाबन्दी व नक्शे का भाग है इस कारण वह शिघ्र ही जमीन खाली करवायेगा इस पर वादीगण काफी आश्चर्य चकित हुये तथा राजस्व रिकार्ड निकलवाया तथा समस्त तथ्य समझकर प्रतिवादी को उक्त राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से अवगत कराया तो प्रतिवादी उस समय तो मान गया और कहा की वो शिघ्र ही सहमति देकर उक्त त्रुटि को सुधरना देगा परन्तु तब से प्रतिवादी लगातार टाल रहा था तथा अभी गत तारीख 15.01.2019 को प्रतिवादी ने उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया तथा नाम के आधार पर विक्रय करने व जबरन कब्जा करने की धमकी दी।

प्रतिवादी की इन्कारी व धमकी को देखते हुए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान् से घोषणा की डिक्री प्राप्त कर वादग्रस्त आराजी जो कि वाद पत्र की मद सं. 2 मे वर्णित है मे प्रतिवादीगण के स्थान पर अपने नाम खातेदारी की घोषणा प्राप्त कर लेवे तथा उक्त विवादित भूमि का राजस्व नवशा भी अपने नाम करवाते हुये अपने राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप दुरस्त करवा ले तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञ से पाबन्द करवा दे कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात जो कि मद नम्बर 2 में वर्णित है में वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा न डाले वादीगण को जबरन बिना विधिक प्रकिया अपनाए बेदखल नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन दान बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित न करे। ३. यह कि दावे के लिये वाद हेतुक दिनांक 15/01/2019 को जब प्रतिवादी में दुरस्ती से इनकार कर बेचान व जबरन कब्जे लेने की धमकी दी तब से इनकार कर बेचान व जबरन कब्जे लेने की धमकी दी तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अनुतोष निम्न प्रकारः-

(क) यह कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी हो कि बाद पत्र की मद से 2 मे वर्णित है में प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा उक्त विवादित भूमि का राजस्व नक्शा भी वादीगण के नाम घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप दुरस्त कर उक्त का खातेदार घोषित किया जाकर उसका इन्द्राज दुरुस्त किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को जरिय स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाये कि वो आराजी जो कि मद नम्बर 2 मे वर्णित है मे वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण को जबरन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन, दान, बेचान व बेचान अन्य को हस्तान्तरण नहीं करे।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नही होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal S
Date: 2024.12.02 10:29:00 I
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार सांगानेर की ओर से जवाब पेश हुआ शामिल मिसल है।

तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि ग्राम गंवार ब्राहम्णान पटवार मण्डल खेड़ी गोकुलपुरा के खसरान नम्बरान् 770/0.31, 771/0.44, 775/0.51, 776/0.21, 777/0.21, 778/0.18 में वादीगण वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है। ग्राम गंवार ब्राहम्णान के खसरा नम्बरान् 746 से 756 व 773 किता 12 रकबा 1.63 हैक्टेयर में प्रतिवादी खातेदार है। तथा खसरा नम्बर 747, 748, 751, 752 व 755 वर्तमान में प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण द0पु0 भूरा जाति अहीर सा.देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पूर्व खसरा नम्बर 323 रकबा 18 बिस्वा जिसका नवीन खसरा नम्बर 778 रकबा 0.18 बना, जिसमें 0.05 हैक्टेयर रकबा बरानी गत से कम राजस्व रिकार्ड में अंकित की गयी। पूर्व खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन ख.न. 770/0.12, 771/0.02, 776/0.21, 777/0.21 किता 4 रकबा 0.56 हैक्टेयर बने, जिनमें 0.01 हैक्टेयर की कम है। पूर्व खसरा नम्बर 325 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन खसरे 746/0.13, 748/0.02, 749/0.15, 750/0.22, 751/0.02, 752/0.04, 753/0.42, 754/0.22, 755/0.02, 756/0.08 किता 11 रकबा 1.34 हैक्टेयर बने जिसमें 0.15 हैक्टेयर रकबा बरारी गत व हाल से बेशी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया। पूर्व खसरा नम्बर 329 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा (2.07 है0) के नवीन खसरा नम्बर 764/0.59, 765/0.49, 766/0.10, 770/0.19, 771/0.42, 772/0.11, खसरा नम्बर 776/1012 रकबा 0.09 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर बने जिसमें 0.08 हैक्टेयर रकबा बरारी गत व हाल से कम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। पूर्व खसरा नम्बर 338 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा (0.56 है0) जिसका नवीन खसरा नम्बर 775/0.51 हैक्टेयर बना। जिसमें 0.05 हैक्टेयर की कम है।

वकील वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र रामजीलाल पी.डब्ल्यू–1, जगदीश शर्मा पी.डब्ल्यू–2, गणेश शर्मा पी.डब्ल्यू–3 एवं रामप्रसाद पी. डब्ल्यू–4 पेश किया।

वकील वादी ने वाद के समर्थन मे जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 EX-1, जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 EX-2, जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 EX-3, जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 EX-4, नक्शा EX-5, भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर नक्शा EX-6, मिलान क्षेत्रफल EX-7, भू–प्रबन्ध खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2034 EX-8, जमाबन्दी सम्वत् 2017 EX-9, जमाबन्दी सम्वत् 2024 EX-10, नक्शा सन् 1955 EX-11, नक्शा ट्रेस ग्राम ग्वार ब्राहम्णान EX-12 पेश किये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal
Date: 2024.02.02 10:29:00
Reason: SelfAttested

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, बयानात का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया व वकील वादीगण की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि ग्राम गंवार ब्राहम्णान पटवार मण्डल खेड़ी

गोकुलपुरा के खसरात नम्बरात् 770/0.31, 771/0.44, 775/0.51, 776/0.21, 777/0.21, 778/0.18 में वादीगण वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार है। ग्राम गंवार ब्राहम्णान के खसरा नम्बरात् 746 से 756 व 773 किता 12 रकबा 1.63 हैक्टेयर में प्रतिवादी खातेदार है। तथा खसरा नम्बर 747, 748, 751, 752 व 755 वर्तमान में प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र जाति अहीर सा.देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पूर्व खसरा नम्बर 323 रकबा 18 बिस्वा जिसका नवीन खसरा नम्बर 778 रकबा 0.18 बना, जिसमें 0.05 हैक्टेयर रकबा बरानी गत से कम राजस्व रिकार्ड में अंकित की गयी। पूर्व खसरा नम्बर 324 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन ख.न. 770/0.12, 771/0.02, 776/0.21, 777/0.21 किता 4 रकबा 0.56 हैक्टेयर बने, जिनमें 0.01 हैक्टेयर की कम है। पूर्व खसरा नम्बर 325 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन खसरे 746/0.13, 748/0.02, 749/0.16, 750/0.22, 751/0.02, 752/0.04, 753/0.42, 754/0.22, 755/0.02, 756/0.08 किता 11 रकबा 1.34 हैक्टेयर बने जिसमें 0.15 हैक्टेयर रकबा बरारी गत व हाल से बेशी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया। पूर्व खसरा नम्बर 329 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा (2.07 है0) के नवीन खसरा नम्बर 764/0.59, 765/0.49, 766/0.10, 770/0.19, 771/0.42, 772/0.11, खसारा नम्बर 776/1012 रकबा 0.09 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.99 हैक्टेयर बने जिसमें 0.08 हैक्टेयर रकबा बरारी गत व हाल से कम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। पूर्व खसरा नम्बर 338 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा (0.56 है0) जिसका नवीन खसरा नम्बर 775/0.51 हैक्टेयर बना। जिसमें 0.05 हैक्टेयर कम है जबकि सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व इन्द्राज को दौहराना चाहिये था। सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व इन्द्राज बदलने का कोई हक व अधिकार नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण ने अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य से व जवाब सरकार के माध्यम से सिद्ध किया है। ऐसे में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम गंवार ब्राहम्णान पटवार मण्डल खेडी गोकुलपुरा के खसरा नम्बर 747, 748, 751, 752, 755 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे में अमल दरामद हो। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/10/23 का खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal
Date: 2024.02.02 10:29:00
Reason: SelfAttested